

(राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्थान गांवों के संग-2021

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>जिराद</u> पं० म० <u>जिराद</u> मू० अ० नि० वृत्त <u>जिराद</u> तहसील <u>आपूर्त</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि० वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	112	731	0.5564	शुकी पुत्री-चोपा <u>खाति गामरी</u>	शुकी पुत्री-चोपा <u>खाति गामरी</u>	ना.
2		732	0.4426	केवाराम पुत्र-चोपा -॥-	केवाराम पुत्र-चोपा -॥-	
3		733	0.3667	कानू पुत्री-चोपा -॥-	कानू पुत्री-चोपा -॥-	
4		736	1.3151	नतु पुत्री-चोपा -॥-	नतु पुत्री-चोपा -॥-	
5		737	0.2023	मानाशम पुत्र-चोपा -॥-	मानाशम पुत्र-चोपा -॥-	
6		738	0.1012	समदा पुत्री-चोपा -॥-	समदा पुत्री-चोपा -॥-	
		739	0.3414			
		748/1	0.0126			
		749	0.1644			
		750	0.1265			
		751	0.1138			
<p>मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् <u>2074-2077</u> के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महादय अलवर के समक्ष श्रयण योग्य है।</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>		<p>प० हल्का <u>जिराद</u> मू० अ० नि० <u>जिराद</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महादय अलवर को सादर प्रेषित है।</p>
<p>दिनांक <u>26/02/2022</u> पटवारी <u>जिराद</u> पं० म० <u>जिराद</u> तह. <u>आपूर्त (सिराही)</u></p>				<p><u>3</u> ह० मू० अ० नि० वृत्त <u>जिराद</u></p>		<p>प० हल्का <u>जिराद</u> मू० अ० नि० <u>जिराद</u> राजस्व अधिकारी <u>गामरी</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।</p> <p><u>W</u> <u>27/02/22</u> ह० राजस्व अधिकारी <u>जिराद</u></p>
<p>सहायक कलेक्टर <u>गामरी (सिराही)</u> ह० उपखण्ड अधिकारी</p>						